संदर्भ:-मुख्य वन संरक्षक सिंह परियोजना, ग्वालियर का पत्र क्रमांक/स्था0/16/312 दिनांक 5.3.2016 00 विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त याचिका की प्रति मूलतः संलग्न प्रेषित है। याचिका क्रमांक 1385/2016 श्री सचिन उपाध्याय विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में वन मण्डलाधिकारी, कूनो वन्यप्राणी वन मण्डल श्योपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। संलग्न:- याचिका की प्रति मुलतः। (जे0 के0 मोहन्ती) वन संरक्षक U. O. NO. 83 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत) मध्यप्रदेश, भोपाल पर्देन सचिव, वन (आई.डी.सी.) नियान हेत विध प्रकार के के कर की जाती है क्ष्या पश्च समर्थन का कादश मारी करने का काष्ट्र केंट्री F:\Sanju court case 2\Letter & Notesheet\O.I.C..doc

■विषय:—याचिका क्रमांक 1385/2016 श्री सचिन उपाध्याय विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

6/

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्षणांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 086
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक—5) आदेश सत्ताईस के नियम—1 तथा 2 के अधीन प्रवत्त शिक्त्यों को प्रयोग में लाते हुए क्षण प्रक्रिया स्वार्थ के सामनीय उच्च न्यायालय क्षण के प्रकरण क्षण क्षण क्षण के लिये तथा उस्की और से प्रमारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने लिए एवं कार्य करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश किया जाता है कि म.प. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वे अपनी नियुक्त के तुरन्त परचात अन्य बातों के साथ ऐसी स्थित में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा :—

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि भामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिकक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की शय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनार्ये तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- (4) जनत रिपोर्ट सथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवनता से संपर्क करेगा ।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा ।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :--
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट ।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारुप। 🦥 🕬 😅
 - (ग) उन समी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य कुबळ्यु-फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विरदीकरण के लिए आवश्यक कागंब्द्ध पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।
- (7) मामले की तैयारी और संधालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, जब दिथि विभाग को सूधित... करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग को भेजेंगें।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सींप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाये ।

- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के सार्वि मेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अंतएव एतद उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिदेवन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अध्यवा सक्षम अधिकारी का जड़ां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सविव का उल्लेख विलोपित कराते हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

अभीत के श्रीवास्त्रव) सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल, दिनांक: ०१/३/201८

पृ. क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 🗸 🎖 💪 प्रतितिपि:—

1. **महाधिवक्ता** म.प्र. उच्च न्यायालय म प

प्रमुख सचिव, म.प्र शासन,विधि और विधास कार्य विभाग भोपाल

3. जिलाध्यक्ष <u>-श्रीपुर</u> जिला मात्रा।

अधिवक्ता से संपर्क कर और " उपस्थिति प्रमाण पत्र " प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विभागाध्यक्त को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।

अरहा अन्तरहरू कि प्रिप्त जिस कि जो से लेख है कि प्रकरण से संबंधित याधिका एवं समस्त दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सौंप्रकर इस विभाग को अवगत कराने का कट करें ।

6. मुख्य वन संरक्षक अविभिन्न वृत्त व्यक्तिमा म.प्र.।

उप दन संरक्षक न्यायालीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश।

10. शासकीय अधिवक्ता म०प्र० उच्च न्यायालय 🛌 🎹 म०प्र०।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता शिकायत/नोडल अधिकारी न्यायालीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल ।

KIND ATTENTION TO

वनोपज अन्तर्विमागीय समिति एवं पदेन समिव मध्यप्रदेश शासन, वन विमाग

OIC: - TIME LIMIT.

2

क्रमांक / स्था० / 16 / 3 । 2

ग्वालियर, दिनांक / .<u>८</u>. / ...<u>२</u> / 2016

प्रति.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता / शिकायत) सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:-Notice Respondent No.3 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/Certiorari/Qua Warrant) No. 1385/2016

निवेदन है कि विषयांतर्गत रिट पिटीसन की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त याचिका का उत्तर दिनांक 16-03-2016 के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय, ब्रांच ग्वालियर में प्रस्तुत किया जाना है। अतः प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी कूनो वन्यप्राणी वन मण्डल श्योपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(विश्राम सागर शमी) मुख्य वन संरक्षक सिंह परियोजना, ग्वालियर (म०प्र०)

पृष्ठां० क्रमांक / स्था० / 16 /

ग्वालियर, दिनांक / ---- / 2016

प्रतिलिपि:-

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र० भोपाल की ओर विषयांकित रिट 1. पिटीसन की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- वन मण्डल अधिकारी, कूनो वन्यप्राणी वन मण्डल श्योपुर की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक सिंह परियोजना, ग्वालियर (म०प्र०)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतर्कता/शिकायत

D:/Expenditure/Expletter.doc

(A9)

In the High Court of M.P, Bench at Gwalior

Writ Petition No. 1385 /2016 (S)

Petitioners:

Sachin Upadhyay

V/s

Respondents:

State of M.P. & Others

DECLARATION (Under Rule 25 Chapter 10)

as required by Rule 25 of	chapter X of Hi	gh Court of
have been served upon	A5	(The
n the copies have been s	served) at	(time)
(date) in Swalis (P	lace).	. 18
ministration order		
	a	-23-28
	have been served upon	have been served upon

Place: Gwalior

Abhishek Mishra Advocate

In the High Court of M.P, Bench at Gwalior

Writ Petition No...../2016 (S)

Petitioners:

Sachin Upadhyay V/s

Respondents:

State of M.P. & Others

INDEX

S.No.	Description of Documents	Annexure No.	Page No.
1.	Chronology of Events	Nil	-
2.	Memo of Petition	Nil	1-5
3.	Affidavit Thereto	Nil	6
4.	List of Enclosures	Nil	. 7
5.	Govt. Order	P/1	8-11
6.	Post Allocation Order	P/2	12-13
7.	Appointment Order	P/3	14-16
8.	Remuneration Increase	P/4	17
9.	Contract Period Extension	P/5	18
10.	Contract Period Extension	P/6	19
11.	Contract Period Extension	P/7	20
12.	Service Termination order	P/8	21-22
13.	Report of 12th Five Year Plan	P/9	23-26
14.	Power		27

Date:

Humble Petitioner

Place: Gwalior

Sachin Upadhyay Through Counsel

Abhishek Mishra Advocate